


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
शुद्धि-पत्र

पटना-15, दिनांक : 6 मार्च, 2019

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-3005/विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-2982 दिनांक 05.03.2019 में श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0(बी एच : 1985), अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। उक्त अधिसूचना में श्री शरण के अतिरिक्त प्रभार के रूप में मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार भी सम्मिलित हो गया है, जबकि, विभागीय अधिसूचना संख्या-1677 दिनांक 06.02.2019 द्वारा मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0(बी एच : 86) पूर्व से ही पदस्थापित हैं।

2. अतएव, श्री त्रिपुरारि शरण के स्थानांतरण/पदस्थापन की विभागीय अधिसूचना संख्या-2982 दिनांक 05.03.2019 में सम्मिलित मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था को दिनांक 05.03.2019 के प्रभाव से ही विलोपित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


6.3.19
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-3005/पटना-15, दिनांक: 6 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल /संबंधित विभाग/ संबंधित पदाधिकारी/ अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06 एवं 19 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6.3.19
सरकार के अवर सचिव।